[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 33/2019- सीमा शुल्क (एडीडी(
नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातिँत "क्लोरीनेटेड पोली विनाइल क्लोराइड रेसिन (सीवीसी) - चाहे इससे आगे इनसे योगिक बनाया गया हो या नहीं", जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 3904 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में अधिसूचना संख्या 6/3/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 जुलाई, 2019, जिसे 12 जुलाई, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचेे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का भारत को विषयगत देशों ने अपने घरेलू बाजार में चल रहे सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया था;
(ii) विषयगत देशों से आयातित विषयगत वस्तु की 'डंपिंग मार्जिन' निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक और बहुत ज्यादा है;
(iii) यहां के घरेलू बाजार में काफी मंदी आई है और यह सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के 'डम्प्ड' आयात के कारण हुई है;
(iv) इस जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई सारवान क्षति को दूर करने के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जरूरी है ।

और उस राशि के बराबर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है जो कि प्रश्नगत वस्तु के अवतरण मूल्य और नीचे दी गई शुल्क सारणी के कॉलम (7) में निर्दिष्ट राशि के अंतर के बराबर है । बशर्ते कि अवतरण मूल्य कॉलम (7) में निर्दिष्ट मूल्य से कम रहा हो । इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयात का अवतरण मूल्य वही होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है और वहां से निर्यातित हैं, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट विशेषता की है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, मुद्रा में और माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रति□पाटन शुल्क लगाती है, यथा -

शुल्क सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन/निर्यात का देश	उत्पादक	विशिष्टता	राशि प्रति मैट्रिक टन अमेरिकी डॉलर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	39042110 39042190 39042210 39042290 39041090 39049000	क्लोरीनेटेड पोली विनाइल क्लोराइड रेसिन (सीवीसी) चाहे इससे आगे इनसे योगिक बनाया गया हो या नहीं	चीन जनवादी गणराज्य	शेंग्डोंग गाओझिन केमिकल कंपनी लिमिटेड	रेसिन	2,066
					योगिक	2,609
2				शेंग्डोंग पूजी रबर एंड प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड	रेसिन	2,072
					योगिक	2,849
3				शेंग्डोंग झियांगशेंग न्यू मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	रेसिन	2,097
					योगिक	2,849
4				विफेंग सनडो केमिकल कंपनी लिमिटेड	रेसिन	2,031
					योगिक	2,849
5				शेंग्डोंग एक्सयूई मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	रेसिन	2,057
					योगिक	2,591
6				सभी अन्य उत्पादक निर्यातक	रेसिन	2,165
					योगिक	2,849
7			कोरिया गणराज्य	सभी उत्पादक निर्यातक	रेसिन	2,031
					योगिक	2,849

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/110/2019 –टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार